राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3) विभाग

क्रमांकः 3(4)कार्मिक/ख–3/अवधाता/2016-पार्ट जयपुर, दिनांक 17/03/2020

विषयः–COVID-19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने के संबंध में शासन सचिवालय में कार्यरत कार्मिकों हेतु महत्वपूर्ण दिशानिर्देश।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा COVID-19 (कोरोना वायरस) को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

शासन सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को COVID-19 (कोरोना वायरस) से बचाव हेतु दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैः–

1. अपने कार्यस्थल को स्वच्छ रखे।
2. समस्त कार्मिक साबुन/हैण्डवॉश इत्यादि से नियमित रूप से और अच्छी तरह से हाथ धोयें अथवा हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। यथासंभव हाथ मिलाने से बचे।
3. किसी भी कार्मिक में जुकाम, खांसी, बुखार एवं समान लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें एवं कार्यालय से अवकाश पर रहें।
4. सर्दी, जुकाम एवं श्वसन संबंधी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों से कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाये रखे। समूह में खडे न रहे।
5. खांसी अथवा छींक आने पर मुंह व नाक पर टिश्यू पेपर अथवा कोहनी मोड कर लगायें।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना कर COVID-19 (कोरोना वायरस) की रोकथाम हेतु आपका सहयोग प्रदान करें।

17/3/2020

(असलम शेर खान)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
3. निजी सचिव/विशिष्ठ सहायक/निजी सहायक, माननीय मंत्री, राज्यमंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
6. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, कार्मिक (ख–3/सुरक्षा) विभाग।
8. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. प्रोग्रामर, कार्मिक विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

17/3/2020.

(प्रेम नारायण सेन)
पंजीयक

राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3) विभाग

विषयः– COVID-19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने के संबंध में शासन सचिवालय में कार्यरत कार्मिकों हेतु महत्वपूर्ण दिशानिर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है की विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा COVID-19 (कोरोना वायरस) को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

शासन सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को COVID-19 (कोरोना वायरस) से बचाव हेतु कार्मिक विभाग द्वारा भी पृथक से दिशा–निर्देश जारी किये गये है। **सचिवालय परिसर में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र बनाये जाने के संबंध में भी आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए गये है जो निम्नानुसार हैः–**

- शासन सचिवालय में समूह के रूप में आगन्तुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
- **कोई आगन्तुक यदि सचिवालय में प्रवेश चाहता है तो स्वागत कक्ष पर दैनिक प्रवेश–पत्र केवल शासन सचिवालय परिसर स्थित अधिकारी (जो उप शासन सचिव स्तर से कम न हो) से दूरभाष पर प्राप्त सहमति के आधार पर जारी किया जावेगा। यह व्यवस्था दोपहर 01.00 से 04.00 बजे के लिए भी बाध्य होगी।**
- शासन सचिवालय से अन्यत्र पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त अराजकीय व्यक्तियों को जारी किये गये अस्थाई मासिक/त्रैमासिक प्रवेश–पत्रों को 31.03.2020 तक निलम्बित किया जाता है।
- शासन सचिवालय में स्वागत कक्ष में/ सचिवालय परिसर के अन्य स्थान पर आगन्तुक/कार्मिक समूह के रूप में खडे न हो।
- शासन सचिवालय परिसर में COVID-19 (कोरोना वायरस) की रोकथाम हेतु आपका सहयोग अपेक्षित है।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाकर COVID-19 (कोरोना वायरस) की रोकथाम हेतु आपका सहयोग प्रदान करावें।

(असलम शेर खान)
संयुक्त शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
समस्त प्रमुख शासन सचिव।
समस्त शासन सचिव।
समस्त संयुक्त शासन सचिव।
समस्त वरिष्ठ/शासन उप सचिव।

अशा.टीप. क्रमांकः प. 3(4)कार्मिक/ख–3/अवधाता/2016
जयपुर,दिनांकः– 13 MAR 2020